सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

06-04-2021

प्रेस नोटः- थाना मंडावली

स्वाट टीम व थाना मंडावली पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण मय आलाकत्ल 01 तमंचा, कारतूसो व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार।

दिनांक 04.04.2021 को रात्रि लगभग 20.30 बजे अमर सिंह (उम्र 58 वर्ष) पुत्र गरीबा सिंह नि0 ग्राम झलरी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर का शव थाना मण्डावली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजपुर नवादा के पास मौअज्जमपुर रोड पर पड़ा मिला , जिसके शरीर पर गोली के छर्रे के निशान थे। इस संबंध में मृतक के पुत्र श्री भोले पुत्र अमर सिंह की तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 54/21 धारा 302 आईपीसी बनाम चरण पुत्र सौपाल निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर पंजीकृत किया गया।

मेरे द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 02 टीमों का गठन कर स्वाट/सर्विलांस सहित थाना मंडावली पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- चरण 2- शाहरुख अहमद 3- धर्मेन्द्र 4- भोले को स्वाट टीम व थाना मंडावली पुलिस द्वारा दिनांक 06.04.2021 को वालिया तिराहे से समय 09.40 बजे घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस (आलाकत्ल) सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो प्रकाश में आया कि घटना का मुख्य अभियुक्त चरण सिंह की पत्नी चरण सिंह को विवाद के चलते छोडकर चली गयी थी तथा उसने नरेश पुत्र मुकन्दी निवासी ग्राम भोजावाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर के भाई राजेश से शादी कर ली थी। इसी से क्षुब्ध होकर चरण सिंह व उसके परिजनों द्वारा उसके घर पर जाकर झगडा किया था। जिसके सम्बन्ध में नरेश उपरोक्त द्वारा दिनांक 25.12.2013 को नरेश उपरोक्त द्वारा थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 423/13 धारा 307/452 भादवि पंजीकृत कराया गया था। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। चरण सिंह एवं भोले (मृतक का पुत्र) का आपस में बहुत अच्छा मेल जोल है। दोनो ने मिलकर यह योजना बनाई कि भोले अनुसूचित जाति से है यदि उसके पिता अमर सिंह के साथ गोली मारने की घटना कारित की जाये तो उसे सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि 08.25 लाख रुपये प्राप्त हो जायेगी तथा नरेश उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर पूर्व में उसके द्वारा थाना बढापुर पर पंजीकृत कराये गये मुकदमें में दबाव बनाकर फैसला भी किया जा सकता है। **इसी क्रम में अमर सिंह को विश्वास में लेकर उसको गोली के छर्रे मारकर घायल करने की योजना बनाई गयी तथा नरेश उपरोक्त पर धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराना चाहते थे।** मृतक अमर सिंह द्वारा कहा गया कि गोली मारकर तुम लोग भाग जाना, मैं शोर मचाने लग जाऊंगा। योजनाबद्ध तरीके से अमर सिंह व उसके पुत्र भोले की सहमति पर चरण सिंह द्वारा अपने साथियों शाहरुख व धर्मेन्द्र के साथ मिलकर थाना कोतवाली शहर से 50 किलोमीटर दूर मंडावली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजपुर नवादा के पास मौअज्जमपुर रोड पर अमर सिंह को गोली मार दी। जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. भोले पुत्र अमर सिह निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर (मृतक का पुत्र)
2. चरण पुत्र सौपाल निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर
3. शाहरूख अहमद पुत्र मुनीर अहमद निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर
4. धर्मेन्द्र पुत्र कैलाश निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अदद तमंचा 12 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. 02 चाकू नाजायज
4. 02 मोटरसाईकिल **(सुपर स्पलेण्डर जो शाहरुख की है तथा बजाज सीटी -100 चरण सिंह की है।)**

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास

चरण पुत्र सौपाल निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर

1. मु0अ0स0 54/21 धारा 302/120बी/34 भादवि / 3(2)5 एससी एसटी एक्ट मंडावली बिजनौर।
2. मु0अ0स0 57/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 736/18 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 737/18 धारा 420/411/413/414 थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 741/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 423/13 धारा 452/307 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 05/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर

<u>शाहरूख अहमद पुत्र मुनीर अहमद निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर</u>

1. मु0अ0स0 54/21 धारा 302/120बी/34 भादवि / 3(2)5 एससी एसटी एक्ट मंडावली बिजनौर
2. मु0अ0स0 58/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मंडावली जनपद बिजनौर

<u>धर्मेन्द्र पुत्र कैलाश निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर</u>

1. मु0अ0स0 54/21 धारा 302/120बी/34 भादवि मंडावली जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 59/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मंडावली जनपद बिजनौर

<u>भोले पुत्र अमर सिह निवासी झलरी थाना कोतवाही शहर बिजनौर</u>

1. मु0अ0स0 54/21 धारा 302/120बी/34 भादवि मडावली जनपद बिजनौर

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

<u>स्वाट टीमः-</u>

प्रभारी श्री राजकुमार शर्मा, उ0नि0 मनोज परमार, उ0नि0 संजय कुमार, का0 खालिद, का0 अरुण कुमार, का0 रईस अहमद, का0 मोहित शर्मा, का0 दीपक तोमर, का0 रणजीत मलिक, का0 विकास बैसला, का0 सुनित , का0 मोनू।

<u>थाना टीमः-</u>

थानाध्यक्ष श्री हिमांशु चौहान, उ0नि0 श्री रामचन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री हरवीर सिंह, का0 441 आदेश कुमार, का0 156 विपिन कुमार, का0 892 शरद पवाँर, का0 291 जितेन्द्र कुमार

<u>पुलिस टीम के सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कार राशिः- 25000/-</u>

<u>थाना हीमपुर दीपाः–</u> आज दिनांक 06.04.2021 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुभाष पुत्र सरदारा निवासी ग्राम फैजपुर खादर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 74/21 धारा 60(क) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>थाना स्योहाराः–</u> आज दिनांक 06.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त 1– बृजेश पुत्र कल्लू 2– सुरेश पुत्र कल्लू निवासीगण ग्राम गल्लाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः– आज दिनांक 06.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त जयसिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम अलादीन पुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 190/21 धारा 60(क) आबाकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः– आज दिनांक 06.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम मिलक मुकीमपुर थाना धामपुर को मु0अ0सं0 193/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना स्योहारा:–</u> आज दिनांक 06.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1– ओम प्रकाश पुत्र हरस्वरूप 2– लवकुश पुत्र ओमप्रकाश 3– अनुज कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण खाकू फतेहपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 189/21 धारा 323,324,325,504 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना स्योहारा:–</u> आज दिनांक 06.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित पुत्र रामकुमार निवासी मौहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना स्योहारा को मु0अ0सं0 194/21 धारा 60 (क) आबकारी अधिनियम मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना अफजलगढः– आज दिनांक 06.04.2021 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त छोटे सिंह पुत्र नेतराम सिंह निवासी ग्राम नवादा सैदपुर जमाल उर्फ भरतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 96/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना अफजलगढ :– आज दिनांक 06.04.2021 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1– शेखर विश्नोई पुत्र सुरेन्द्र सिंह 2– महिपाल सिंह पुत्र नरेश कुमार निवासीगण ग्राम शिवपुरी थाना अफजलगढ को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 99/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना अफजलगढः– आज दिनांक 06.04.2021 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त महफूज पुत्र अय्यूब निवासी मौहल्ला जैनल्लाब्दीन थाना अफजलगढ को एक नाजायज तमंचे सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 97/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डावलीः– आज दिनांक 06.04.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम हुकूमत पुर केसों उर्फ गांवडी थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना रेहडः–</u> आज दिनांक 06.04.2021 को थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त भगवन्त सिंह पुत्र बक्शीश सिंह निवासी खैराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 38/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>थाना रेहडः–</u> आज दिनांक 06.04.2021 को थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त मुनेन्द्र पुत्र दिलबाग निवासी ग्राम घासीवाल थाना रेहड जनपद बिजनौर को 40 लीटर अवैध शराब व 1200 लीटर लहन के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 39/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

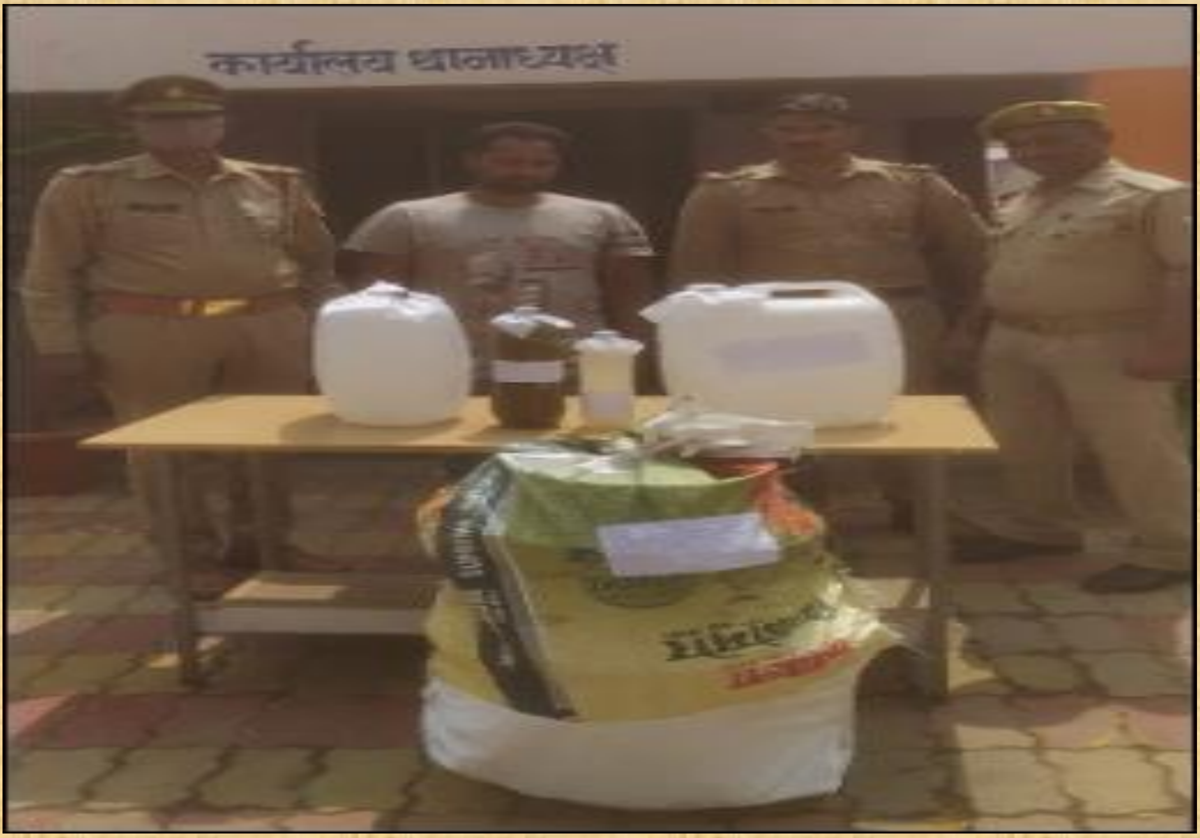

<u>थाना नगीना देहातः–</u> आज दिनांक 06.04.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण 1– रिंकू पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी शाहलीपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 2– अरूण पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 3– गजराज पुत्र मवासी निवासी ग्राम नसीव थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 117 पव्वे देशी शराब फाईटर मार्का सहित जोगीरम्पुरी नहर पुलिया से गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>दिनॉक 06.04.2021</u>

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
शारदीय नवरात्र, 2020 – बासन्तिक नवरात्र, 2021

आज दिनांक 06.04.2021 को थाना कोतवाली शहर पर गठित एण्टी रोमियों टीम द्वारा बस स्टैण्ड/बाजार/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102**, **108**, **112**, **181**, **1076**, **1098**, **1090** व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।

आज दिनांक 06.04.2021 को जिला प्रभारी एण्टी रोमियों टीम बिजनौर द्वारा बस स्टैण्ड/बाजर/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर मंचलो पर शिकंजा कसा व उ**0**प्र**0** सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102**, **108**, **112**, **181**, **1076**, **1098**, **1090** व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।